



राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड

(भारत सरकार का उपक्रम-मिनिरल कम्पनी)

NATIONAL SEEDS CORPORATION LTD.

(A Govt. of India Undertaking- Miniratna Co.)

CIN: U74899DL1963PLC003913

ISO Certificate NO. 9001:2008 & 14001:2004

केन्द्रीय राज्य फार्म, जैतसर :: जिला श्रीगंगानगर (राज.)

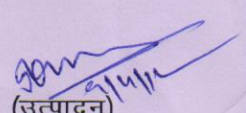
रजिस्टर्ड कार्यालय:- बीज भवन, पूसा भवन, नई दिल्ली-110012

पत्रांक: के.रा.फा./जैत./10-47(आ.सो.)/कृषि/15-16/

दिनांक 09.04.2015

निविदा

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि केन्द्रीय राज्य फार्म, जैतसर, जिला श्रीगंगानगर (राज0) खण्ड-1 में 60.0 है0, खण्ड-2 में 203.0 है0 व खण्ड-3 में 137.0 है0 कुल 400.0 है0 एरिया बाराणी टिब्बा (Rainfed Area) क्षेत्र का सुधार कर खरीफ-2015 एवम रबी 2015-16 के सिजन में उगाई जाने वाली फसलों के कृषि कार्यों में श्रमिक व मशीन कार्य की आउट सोर्सिंग फसलों के उत्पादन में हिस्से के आधार पर भुगतान हेतु निविदायें दिनांक 07.05.2015 को अपह्नन 3.00 बजे तक आमंत्रित की जाती है जो उसी दिन साय: 4.00 बजे खोली जायेगी। दिनांक 07.05.2015 को अंतिम निर्णय नहीं हो पाने पर निविदायें वैकल्पिक तिथियो 14.05.2015, 21.05.2015 तक पुनः निर्धारित समय अपराह्नन 3.00 बजे तक प्राप्त की जा सकेंगी। जिसके लिए अलग से सूचना नहीं भेजी जायेगी। निविदा में भाग लेने के लिए बाराणी एरिया (Rainfed Area) हेतु रुपये 50,000.00(रुपये पचास हजार मात्र) का बैंक डिमान्ड-ड्राफ्ट जो कि नेशनल सीड्स कारपोरेशन लिमिटेड, जैतसर के पक्ष में भारतीय स्टेट बैंक, बाजूवाला (IFSC कोड नम्बर SBIN0008251) पर देय हो, धरोहर राशि के रूप में निविदा के साथ जमा/संलग्न करना होगा। जिसे कार्य के संतोषजनक ढंग से पूरा होने पर बिना ब्याज के लौटा दिया जायेगा तथा असफल निविदादाता की राशि चैक द्वारा लौटा दी जायेगी। निविदा संबंधी जानकारी तथा नियम एवम् शर्तें किसी भी कार्यदिवस में सुबह 10.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक ली जा सकती है व निगम की वेबसाइट www.indiaseeds.com पर भी देखी जा सकती है। निविदा प्रपत्र अखरे रुपये 100.00 नकद जमा कर, एक फोटो, पहचान पत्र व पेन कार्ड की फोटो प्रति जमा करवा कर कार्यालय से सायं 4.00 बजे तक प्राप्त किया जा सकता है।


प्रबन्धक (उत्पादन)
कृते निदेशक

केन्द्रीय राज्य फार्म जैतसर
जिला श्रीगंगानगर (राज0)

(आउट सोर्सिंग की बारांनी टिब्बा एरिया की नियम व शर्तें)

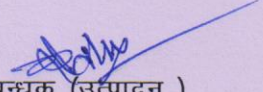
विषय:- बारांनी टिब्बा एरिया में फसल उत्पादन में हिस्सा आधारित शस्य क्रियाओं में इस्तेमाल होने वाले श्रमिक व मशीन की आउट सोर्सिंग की नियम व शर्तें।

1. खेती में इस्तेमाल होने वाले आवश्यक सभी इनपुट जैसे बीज , उर्वरक कृषि रसायन (कीट एवं बीमारी रसायन) फसलवार फार्म द्वारा तय नार्मस के मुताबिक फार्म की तरफ से उपलब्ध कराया जाएगा।
- 2- खेती से संबंधित समस्त कार्य , जैसे जमीन की तैयारी (सुधार करना), फसल बुवाई, उर्वरक का इस्तेमाल, कृषि रसायन का इस्तेमाल, नालियों की साफ- सफाई , फसल निराई-गुड़ाई, रोगिंग फसल की रखवाली, कटाई/गहाई उत्पादन को खलिहान पर पहुँचाकर उतारने इत्यादि में इस्तेमाल सभी श्रमिक व यान्त्रिक आपरेशन ठेकेदार को करने होंगे इन सभी कार्यों में होने वाले खर्च की एवज में फसल उत्पादन (साफ उत्पादन) का हिस्सा दिया जाएगा जिसका निर्धारण टैण्डर के माध्यम से वर्ष 2015-16 के (खरीफ-15, रबी 15-16) सीजन में निर्धारित फसलों के उत्पादन के न्यूनतम हिस्सा मात्रा के आधार पर किया जाएगा. ठेकेदार को देय हिस्से का मूल्य भारत सरकार द्वारा निर्धारित समर्थन मूल्य के अनुसार फसल के उत्पादन को खलिहान पर प्राप्ति के 15 दिन बाद भुगतान किया जायेगा। यदि किसी फसल का समर्थन मूल्य भारत सरकार द्वारा निर्धारित नहीं हुआ है तो ऐसी स्थिति में श्रीगंगानगर मण्डी के आवक पीरियड के अधिकतम व न्यूनतम दर के औसत के आधार पर भुगतान किया जाएगा।
- 3- निविदाता (ठेकेदार) द्वारा संबंधित चक के सभी कार्य खेत की तैयारी/सुधार से लेकर प्राप्त उत्पाद को खलिहान पर पहुँचाकर उतारने तक का कार्य संबंधित चक ईर्वाज खण्ड प्रभारी व फार्म अधिकारियों के निर्देशानुसार निर्धारित समयावधि व मापदण्डों के अनुसार करना होगा।
- 4- विभिन्न प्रकार के कार्यों के दौरान किसी भी प्रकार की जन-धन की हानि एवं दुर्घटना की वैधानिक व संपूर्ण जिम्मेवारी ठेकेदार की होगी। फार्म का किसी भी प्रकार का कोई दायित्व नहीं होगा। ठेकेदार द्वारा लगाये गये श्रमिकों को देय मजदूरी ई0पी0एफ0 दुर्घटना मुआवजा तथा समस्त वैधानिक देनदारी व दायित्व ठेकेदार की ही होगी। यदि फार्म को किसी मामले में ठेकेदार की ओर से उस दायित्व निर्वाह में कोई भुगतान करना पड़ा तो फार्म मय हर्जे खर्चे के उसे ठेकेदार को देय धनराशियों से काटने अथवा समायोजित करने को स्वतंत्र होगा।
- 5- कटाई , थ्रेसिंग के बाद प्राप्त होने वाला सम्पूर्ण उत्पाद फार्म को देना होगा।
- 6- संबंधित क्षेत्र में स्थित समस्त चल-अचल संपत्ति की सुरक्षा की जिम्मेवारी ठेकेदार की होगी, वह इस बाबत एक हल्फनामा (अण्डर टेकिंग) देगा व यथास्थिति में ठेका पूर्ण होने पर इन्हे वापस फार्म को सम्मिलवाएगा। फार्म की उक्त चल-अचल सम्पत्ति का ठेकेदार व्यवसायिक उपयोग नहीं करेगा। फार्म से संबंधित क्षेत्र की संपत्तियों में किसी भी प्रकार के नुकासान, चोरी आदि की भरपाई ठेकेदार के कार्य के बिल के भुगतान/जमा धरोहर राशि से किया जायेगा।
- 7- संबंधित प्रक्षेत्र पर पशुधन रखने व चराने एवं अन्य क्रियाओं की अनुमति नहीं होगी।
- 8- संबंधित प्रक्षेत्र पर कौनसी फसल व किस्म कितने क्षेत्र में ली जानी है उसका निर्धारण फार्म प्रबन्धन द्वारा किया जाएगा।
- 9- ठेकेदार को ठेके के किसी भी क्षेत्र को सबलेट करने का अधिकार नहीं होगा।
- 10- हिस्सा आधारित खेती में इस्तेमाल श्रमिक व मशीन की आउट सोर्सिंग का कार्य खरीफ-15 रबी 15-16 के लिए रखा जायेगा।
- 11- ठेकेदार को अपना पेन कार्ड न.0 देना होगा। नियमानुसार टी0डी0एस0 भी कटेगा।
- 12- निविदादाता द्वारा कार्य संतोषजनक ढंग से नहीं करने पर ठेका बीच में निरस्त किया जा सकता है।
- 13- ठेकेदार का संबंध केवल कृषि कार्य से रहेगा।
- 14- ठेके के क्षेत्र में ठेकेदार द्वारा कोई स्थाई निर्माण व अन्य किसी प्रकार की गतिविधियां (फार्म द्वारा प्रदत्त कार्यों के अतिरिक्त) नहीं होगी।
- 15- ठेकेदार के कार्य में लगे श्रमिक व मशीन की सूची ठेकेदार द्वारा फार्म को उपलब्ध कराया जायेगा।
- 16- विशेष प्राकृतिक आपदा/परिस्थितियां जिनका पूर्व अनुमान/नियन्त्रण/निदान सम्भव नहीं हो की स्थिति में यदि ठेकेदार अनुबंध की शर्तों को पूरा नहीं कर पाता है तो ऐसी स्थिति में फार्म प्रबन्धन का निर्णय ही अन्तिम होगा।
- 17- सभी फसलों का नीरा-गूणा ठेकेदार का होगा जिसका निस्तारण गहाई के 15 दिन के अन्दर वह स्वयं करेगा।

क्रमशः पेज दो

- 18- किये गये कार्य श्रमिक व मशीन मद में खर्च के एवज में ठेकेदार को पहली किस्त सीजन की फसल बुवाई के उपरान्त अग्रिम भुगतान के रूप में रू0 1500/- प्रति हैक्टेयर व दूसरी किस्त रू0 1000/- प्रति हैक्टेयर के हिसाब से फसल कटाई के पूर्व भुगतान का प्रावधान रहेगा जिसे उसके अंतिम देय भुगतान से समायोजित कर लिया जाएगा।
- 19- कृषि प्रक्रिया(Operation) का निर्धारण फसल व प्रजाति की आवश्यकतानुसार फार्म द्वारा निविदा के पूर्व किया जाएगा।
- 20- फसल में प्राकृतिक आपदा से हुए नुकसान आदि के बारे में फार्म द्वारा गठित समिति के आकलन के आधार पर निर्णय लिया जाएगा जो की दोनों पक्षों को मान्य होगा।
- 21- प्रत्येक फसल व प्रजाति के उत्पादन का लक्ष्य फार्म द्वारा निर्धारित किया जाएगा। यदि लक्ष्य से कम उत्पादन आता है तो ऐसी स्थिति में फार्म द्वारा गठित समिति द्वारा कम उत्पादन के कारणों की समीक्षा की जाएगी। यदि ठेकेदार की तरफ से फसल उत्पादन में कमी पाई जाती है तब ठेकेदार इस कमी की भरपाई करेगा जिसका आंकलन फार्म द्वारा गठित कमेटी करेगी जो की दोनों पक्षों को मान्य होगा।
- 22- फसल उत्पादन में होने वाले नुकसान व चोरी इत्यादि की जिम्मेवारी ठेकेदार की होगी।
- 23- पक्षकारों के मध्य किसी भी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने की स्थिति में अध्यक्ष सहप्रबन्धक निदेशक, कॉरपोरेट ऑफिस, राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड, नई दिल्ली अथवा उनके नामित ऐकल आर्बिट्रेटर का निर्णय अन्तिम होगा, जो कि पक्षकारान को मान्य होगा। न्यायिक मामले उस न्यायालय में क्षेत्राधिकार माना जाएगा, जिसके अन्तर्गत फार्म आता है।

हस्ताक्षर ठेकेदार


प्रबन्धक (उत्पादन)

राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड

(भारत सरकार का उपक्रम-मिनिरत्न कम्पनी)



NATIONAL SEEDS CORPORATION LTD.

(A Govt. of India Undertaking- Miniratna Co.)

(CIN: U74899DL1963PLC003913)

(ISO Certificate NO. 9001:2008 & 14001:2004)

केन्द्रीय राज्य फार्म जैतसर -335702

जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान)

मुख्यालय : बीज भवन, पुसा परिसर, नई -दिल्ली 110012

पत्रांक: के.रा.फा./जैत./10-47(आ.सो.)/कृषि/15-16/

दिनांक .

निविदा प्रपत्र

1. फर्म या ठेकेदार का नाम व पता:-
2. पेन नम्बर:-
3. धरोहर राशि का विवरण डी0डी0 नम्बर :-

क्र०	चक का नाम व प्रस्तावित एरिया	बीजाई की जाने वाली फसल का विवरण		कार्य की दर जो निविदादाता द्वारा देय हैं	
		खरीफ 2015	रबी 2015 -16	हिस्सा का विवरण प्रतिशत में	
1.	कुल एरिया - 400.0 हैक्टेयर Block-I Chak -4 BGD (60.0 ha.) Block-II Chak - 2-1 JKSM (51.6 ha.) 3 JKSM(30.8 ha.) 6 MGM (121.2 ha.) Block-III Chak- 9 SAD (22.0 ha.) 5 MGM (44.8 ha.) 5 SAD (70.4 ha.)	मूंग, मोठ, ग्वार, बाजरा, मूंगफली	जौ, गेहूँ, चना, सरसो, तोरिया, तारामीरा	खरीफ 2015 % %	रबी 2015-16 % %

मैंने निविदा की समस्त नियम व शर्तें अच्छी तरह पढ़ व समझ ली है। मैं फार्म द्वारा निर्धारित नियम व शर्तों के अनुसार कार्य करने के लिए सहमत हूँ। इस आशय का शपथ पत्र रुपये 100/- के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर कार्य स्वीकृत होने पर प्रस्तुत कर दूंगा।

हस्ताक्षर.....

निविदादाता का नाम व पूरा पता.....

.....